संयुक्त राष्ट्र

सीआरपीडी/सी/आईएनडी/सीओ/1

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर कन्वेंशन

वितरण: सामान्य

29 अक्टूबर, 2019

मूल: अंग्रेजी

दिव्यांगजनों के अधिकारों पर समिति

भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट पर निष्कर्ष टिप्पणियां *

I. परिचय

1. समिति ने 2 और 3 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी 485वीं बैठक और 486 वीं बैठक (सीआरपीडी/सी/एसआर 485 और 486 देखें) में भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट (सीआरपीडी/सी/आईएनडी/1) पर विचार किया। समिति ने 18 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी 506वीं बैठक में वर्तमान निष्कर्ष समुक्तियों को अपनाया।

2. समिति भारत की प्रारंभिक रिपोर्ट का स्वागत करती है, जो समिति के रिपोर्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई थी, और राज्य पार्टी को समिति द्वारा तैयार किए गए मुद्दों की सूची (सीआरपीडी/सी/आईएनडी/क्यू/1) के लिए इसके लिखित उत्तरों (सीआरपीडी/सी/आईएनडी/क्यू/1/एड.1) के लिए इसका धन्यवाद करती है।

3. समिति ने राज्य पार्टी के अधिकारियों के साथ हुई रचनात्मक संवाद की सराहना की।

II. सकारात्मक पहलू

4. समिति ने दिव्यांगजनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और प्रवर्तित करने वाले विधायन जैसे, 6 से 18 वर्ष के बीच की आयु वाले

दिव्यांग बच्चों के नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार को अपनाने, चुनाव प्रक्रियाओं के दौरान सुगम्यता को सुदृढ़ करने के उपाय और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में समुचित आवास से मना किए जाने सहित दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव से संरक्षरण के लिए राज्य पार्टी का स्वागत किया। यह राज्य पार्टी के इस कन्वेंशन का हिंदी में अनुवाद करने के प्रयासों की सराहना करती है, और यह कि विश्व बैंक के साथ समझौतों सहित कई अंतरराष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों में दिव्यांगता समावेशन एक घटक है। यह राज्य पार्टी के अपने संस्थागत और नीतिगत ढांचे में सुधार करने के उपायों को भी नोट करती है, जिसमें सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडे के ढांचे का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय विकास एजेंडा और सरकार में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की स्थापना करना शामिल है।

5. समिति, दृष्टिहीन, दृष्टिबाधित, या अन्यथा मुद्रण (प्रिंट) दिव्यांगजन के लिए प्रकाशित कार्यों की पहुंच की सुविधा के लिए 2014 में मराकेश संधि के अनुसमर्थन पर राज्य पार्टी की सराहना करती है।

III. चिंता के प्रमुख क्षेत्र और सिफारिशें

क. सामान्य सिद्धांत और बाध्यताएं (धारा. 1–4)

6. समिति निम्न के बारे में चिंतित है:

(क) दिव्यांगजनों, विशेष रूप से दिव्यांगता के बहु आकलनों और प्रमाणीकरण में और समुदाय में पहुंच सेवाओं के विभिन्न आकलनों की आवश्यकता में, और रोकथाम एवं पुनर्वास की आवश्यकता रखने वाली जैविक दशा के रूप में कुष्ठ रोग सहित दिव्यांगता को गलत समझने से संबंधित विधायन, सार्वजनिक नीतियों और अभिवृत्ति में, दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल की व्यापकता ।

(ख) विधायन, सार्वजनिक नीतियां और प्रथाएं, जिनमें दिव्यांगजनों के विरूद्ध भेद-भाव किया जाता है, विशेष रूप से संरक्षकता, संस्थागतकरण, मनोरोग उपचार और दिव्यांगता के आधार पर अलग-अलग सामुदायिक सेवाएं, नकारात्मक धारणाएं, जिसमें दिव्यांगजनों के जीवन के विपरीत "सामान्य जीवन" और "मानसिक रूप से बीमार", और "दिव्यांगजन" जैसी अपमानजनक शब्दावली शामिल है, जिनमें से ''दिव्यांगजन'' अभी भी विवादास्पद है;

(ग) विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र की सीमित कवरेज, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और रेल सेवाएं, जैसे सेवा प्रदाता दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य और वहनीय सार्वजनिक सेवाओं की सुविधा के लिए इन कार्डों को मान्य नहीं करते।

---

*समिति द्वारा इसके 21वें सत्र में अपनाया गया (26 अगस्त – 20 सितंबर, 2019).

7. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) नीति निर्माताओं और समाज में दिव्यांगता के मानवाधिकार मॉडल की समझ को संवर्धित करने और दिव्यांगजनों की अंतर्निहित गरिमा तथा भिन्नता के लिए सम्मान का सिद्धांत और मानव विविधता एवं मानवता के हिस्से के रूप में दिव्यांगजनों की स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय और राज्य कार्यनीतियों को अपनाए;

(ख) दिव्यांगता के आकलन और प्रमाणन के दिशा-निर्देशों में दिव्यांगता के मानवाधिकार मॉडल के अनुरूप सुधार करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिव्यांगजनों के संगठन दिशानिर्देशों के सुधार में शामिल किए गए हैं ताकि कई आकलनों से आवेदकों पर अनुचित बोझ न पड़े, और यह कि नीतियां और कार्यक्रम देखभाल, उपचार और संरक्षण से हटकर परिवेशगत और अभिवृत्तिक बाधाओं को दूर करने की ओर अंतरित करें, जो समानता और समावेशन में बाधा डालते हैं।

(ग) समीक्षा प्रक्रिया पूरी करें ताकि इसके विधायन, नीतियां और योजनाएं कन्वेंशन के अनुरूप बन सकें जिसमें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016), मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम (2017), ऑटिज्म, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम (1999), और दिव्यांगता समावेशन के लिए सामान्य सेवाओं को अभिशासित करने वाले उपाय तथा अपने विधायन, नीतियों, सरकारी विनियमों और सरकारी वेबसाईटों एवं सार्वजनिक चर्चा में दिव्यांगजनों के विरूद्ध अपमानजनक शब्दावली और अवधारणाओं को हटाना शामिल है।

(घ) सुनिश्चित करें कि सामुदायिक सेवाएं उपलब्ध हों और ये सभी दिव्यांगजनों के लिए बिना किसी भेदभाव समावेशी हों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र अभी लागू किया जाना है।

8. समिति, कन्वेंशन के कार्यान्वयन के लिए व्यापक राष्ट्रीय और राज्य कार्य-योजनाओं के अभाव और सभी राज्यों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को मान्यता देने वाले विधायी उपायों के असमान कार्यान्वयन के बारे में चिंतित है।

9. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) सुनिश्चित करे कि सार्वजनिक नीतिगत प्रयासों में दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों सहित सभी दिव्यांगों को लक्षित करते हुए और क्रॉस-सेक्टोरल मानव एवं तकनीकी संसाधन और बजट आवंटन सुनिश्चित करते हुए, दिव्यांगजन की सार्थक भागीदारी के साथ कन्वेंशन को राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर लागू करने के लिए तत्काल समीक्षा की जाए और एक कार्य योजना अपनाई जाए।

(ख) सभी राज्यों में दिव्यांगजनों के अधिकारों को मान्यता देने वाले विधायन लागू करने के लिए राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के साथ सहयोग सुनिश्चित करें।

10. समिति चिंतित है कि दिव्यांगजनों के संगठनों की भागीदारी को उनसे संबंधित निर्णय लेने वाली प्रक्रिया में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, और इन प्रक्रियाओं के परिणामों में उनका अभिमत परिलक्षित नहीं होता है।

11. समिति अनुशंसा करती है कि कन्वेंशन का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से, दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांगजनों की भागीदारी के संबंध में समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 7 (2018) द्वारा निर्देश किए गए अनुसार राज्य पार्टी:

(क) सुनिश्चित करें कि सरकार के सभी स्तरों और सभी सार्वजनिक - नीतिगत क्षेत्रों में निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 7 के पैराग्राफ 10 से 13 में परिभाषित, दिव्यांगजनों के संगठनों से परामर्श किया गया है और इसमे दिव्यांग महिलाओं सहित उनकी भागीदारी, शामिल हैं।

(ख) दिव्यांगजनों के संगठनों की भागीदारी के लिए अभिभावक व्यवस्था सहित बाधाएं दूर करे और उनकी प्रभावी भागीदारी, सुगम्य और समावेशी जानकारी तथा परामर्श की विधियों के लिए उपयुक्त संसाधन प्रदान करे;

(ग) सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजनों की राय को समुचित महत्व दिया जाता है और ऐसे परामर्श के परिणाम लिए गए निर्णयों में परिलक्षित होती है और यह कि जवाबदेही मानदंडों को संबंधित सार्वजनिक निर्णय लेने में अपनाए गए हैं।

ख. विशेष अधिकार (धारा 5–30)

समानता और गैर-भेदभाव (धारा 5)

12. समिति निम्नलिखित के विषय में चिंतित है:

(क) संविधान में दिव्यांगता-आधारित भेदभाव का स्पष्ट निषेध न होना और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियमकी धारा 3(3) में भेदभाव रोधी खण्ड का अपवाद है, जिसमें कुछ परिस्थितियों में दिव्यांगजनों से भेदभाव की अनुमति है;

(ख) कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से महिलाएं, जो अकेलेपन का अनुभव कर रही हैं, ''कुष्ठ कालोनियों'' या घर पर पृथक हैं, स्कूल से बहिष्करण, नौकरियों से बर्खास्तगी और स्वायत्तता में बाधाओं का सामना कर रहे हैं, के विरूद्ध विधायन और व्यवहार में बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) भेदभाव तथा संघ द्वारा भेदभाव करना;

(ग) दलितों और आदिवासियों, वयोवृद्ध दिव्यांगजनों, एचआईवी/एड्स से ग्रस्त जीवनयापन करने वाले दिव्यांगजनों, स्वदेशी दिव्यांगजनों, मानवजातीय, भाषा संबंधी एवं धार्मिक अल्पसंख्यक दिव्यांगजनों और दिव्यांग समलैंगिक स्त्री, (लेस्बीयन), समलैंगिक व्यक्ति (गे) बाईसेक्सुअल, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स दिव्यांगजनों सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में दिव्यांगजनों के खिलाफ, अन्य बातों के साथ-साथ, बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) भेदभाव का समाधान करने के उपायों का अभाव;

(घ) दिव्यांग महिलाओं के विरूद्ध जेंडर आधारित भेदभाव सहित दिव्यांगता और बहु एवं परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) भेदभाव के आधार पर भेदभाव के मामलों में प्रभावी निवारण का न होना।

13. समिति सिफारिश करती है कि समानता और गैर-भेदभाव पर समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 6 (2018) द्वारा निर्देश दिए गए अनुसार और सतत् विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 10.2 और 10.3 को ध्यान में रखते हुए राज्य पार्टी:

(क) दिव्यांगता आधारित भेदभाव का स्पष्ट निषेध करने और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की धारा 3(3) का निरसन करने के लिए संविधान में संशोधन करे, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका कानून प्रत्यक्ष और परोक्ष दिव्यांगता आधारित-भेदभाव और दिव्यांगजनों के खिलाफ भेदभाव के बहु

और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) रूपों की पहचान करती है;

(ख) कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों के विरूद्ध हिंदू विवाह नियम और परिवार न्यायालय नियम में प्रावधानों, तथा उनकी आवाजाही को सीमित करने वाले या सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से रोकने वाले प्रावधानों सहित, सभी क्षेत्रों में सभी भेदभाव पूर्ण कानूनों का निरसन करें, और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों की स्थिति का समाधान करने के लिए कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों के विरूद्ध भेदभाव के उन्मूलन के सिद्धांत और दिशानिर्देश (ए/एचआरसी/15/30, एनेक्स) द्वारा निर्देशित हो;

(ग) स्थिति का आकलन करें और भेदभाव का सामना करने वाले दिव्यांगजनों के लिए समावेशी समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से, भेदभाव के बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) रूपों से निपटने के लिए भेदभाव विरोधी कानून और सार्वजनिक नीतियां अपनाएं;

(घ) दिव्यांगता आधारित भेदभाव और समुचित आवास के लिए मना करने के मामले में, दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के जेंडर आयाम पर विचार करते हुए क्षतिपूर्ति सहित प्रभावी कानूनी उपचार और निवारण के लिए दिव्यांगजनों की पहुंच सुनिश्चित करें।

दिव्यांग महिलाएं (धारा 6)

14. समिति दिव्यांग महिलाओं एवं लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) रूपों के बारे में चिंतित है, और

(क) दिव्यांगता रूढ़िवादिता और स्टिग्मा तथा दिव्यांग महिलाओं एवं लड़कियों, विशेष रूप से मनोसामाजिक या बौद्धिक दिव्यांगों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली दिव्यांगों के खिलाफ भेदभाव के बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) रूपों के बारे में जागरूकता के न होने तथा सामान्य रूप से और दिव्यांगता समावेशी नीतियों में दिव्यांग महिलाओं का समावेशन न किए जाने के बारे में चिंतित है;

(ख) जेंडर उत्तरदायी नीतियों और बजटिंग न किए जाने, और दिव्यांग महिलाओं एवं लडकियों द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में सभी अधिकारों और सेवाओं के समान आनंद और पहुंच के संबंध में जेंडर के विषय में पृथक जानकारी की अनुपस्थिति के बारे में चिंतित है।

(ग) दिव्यांग महिलाओं की नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी और प्रतिभागिता में बाधाओं के बारे में चिंतित हैं।

15. समिति सिफारिश करती है कि पक्षकार राज्य, दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों पर अपनी सामान्य टिप्पणी सं. 3 (2016) के अनुरूप और सतत् विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 5.1, 5.2 और 5.5 को ध्यान में रखते हुए:

(क) दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव के बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) रूपों का समाधान करने के उपायों को सुदृढ़ करें;

(ख) जीवन के सभी क्षेत्रों में दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों की समानता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कार्य योजनाओं को अपनाएं, सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय महिला नीति में दिव्यांगता को मुख्यधारा में लाया गया है, तथा स्टिग्माइजेशन और जेंडर एवं दिव्यांगता रूढिवादिता को कम करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान प्रभावशील है। समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 7 के अनुसार दिव्यांग महिलाएं अपने प्रतिनिधि संगठनों के माध्यम से ऐसे जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल हैं;

(ग) सभी दिव्यांग महिलाओं एवं लडकियों के अधिकारों का समाधान करने के लिए, चाहे उनकी दिव्यांगता, ग्रामीण या शहरी अवस्थिति, जातीय पहचान और सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जेंडर-उत्तरदायी नीतियां और बजट आवंटन स्थापित करें और एक समान बेहतर नीति एवं सेवाओं के प्रावधान के लिए जेंडर, और मानव जातीय, भाषाई या धार्मिक पृष्ठभूमि विषय पर अलग-अलग आंकडे संकलित करें;

(घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों द्वारा अपनाई गई नीतियों के संबंध में भागीदारी सहित निर्णय और नीति निर्माण में सभी स्तरों पर दिव्यांग महिलाओं की पूर्ण और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करे।

दिव्यांग बच्चे (धारा 7)

16. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से दिव्यांग लड़कियों का आधारभूत जन सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा से बहिष्करण और उनकी अवहेलना तथा दिव्यांग बच्चों के लिए प्रारंभिक उपचार (अर्ली इंटरवेंशन) और सहायता कार्यक्रमों का न होना;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांग बच्चों की सुरक्षा और दिव्यांगता एवं गरीबी के कारण परित्याग की रोकथाम योजनाओं की सीमित कवरेज;

(ग) यह सुनिश्चित करने के उपायों का अभाव कि दिव्यांग बच्चे उन्हें प्रभावित करने वाले मामलों जैसे कि कानूनी कार्यवाही या देखभाल और सुरक्षा के प्रावधान के संबंध में भाग ले सकें और अपने विचार व्यक्त कर सकें।

17. **समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :**

(क) **सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं में समावेशन और प्रारंभिक बाल्यावस्था में सहायता सहित मदद के लिए वित्तीय संसाधनों का आवंटन और सभी बच्चों के लिए सुगम्य प्रारंभिक विकास केंद्र सुनिश्चित करें;**

(ख) **ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों तथा परित्याग और संस्थागतकरण के जोखिम का सामना कर रहे बच्चों को प्राथमिकता देते हुए, बाल संरक्षण योजना और अन्य कार्यक्रमों के तहत सभी दिव्यांग बच्चों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित करें, पालक (फोस्टर) परिवारों सहित समुदाय में सहायता प्रदान करने के उपायों का सुदृढीकरण करें;**

(ग) **दिव्यांग बच्चों को प्रशासनिक या न्यायिक प्रक्रियाओं सहित, उनके जीवन से संबंधित सभी मामलों में अपने विचार व्यक्त करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के उपायों को अपनाना।**

जागरूकता बढाना (धारा 8)

18. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) दिव्यांगजनों के अकेलेपन और पृथक्कीकरण के आधार पर पूर्वधारणा और स्टिग्मा की व्यापकता और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां दिव्यांगता को "भाग्य का परिणाम" माना जाता है, वहां जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों का सीमित प्रभाव और इनकी जानकारी का अभाव;

(ख) मीडिया में दिव्यांगजनों का प्रतिगामी नकारात्मक चित्रण, और राजनीतिक नेताओं एवं अभिनेताओं द्वारा हाल ही में बहुत से-शिकायत वाले भेदभाव पूर्ण और अपमानजनक बयान;

(ग) कन्वेंशन और अन्य दिव्यांगता अधिकारों से संबंधित कानूनों और नीतियों के बारे में जानकारी का अभाव, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में।

19. समिति सिफारिश करती है कि दिव्यांगजनों को संगठनों के सहयोग से राज्य पार्टी :

(क) जागरूकता बढाने और दिव्यांगजनों के विरूद्ध पूर्व धारणाओं तथा स्टिग्मा का विरोध करने, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र शामिल हैं, और स्कूलों को लक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति अपनाएं और उनके प्रभाव की मॉनीटरिंग करें;

(ख) व्यापक जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को लागू करें, जिसमें नीति निर्माताओं, प्राधिकरण के सभी स्तरों के प्रशासनिक स्टॉफ, न्यायाधिकरण, कानून प्रवर्तन अधिकारी, मीडिया, दिव्यांगजन और उनके परिवार वालो के साथ एवं उनके लिए कार्य कर रहे पेशेवर तथा स्टॉफ के लिए प्रशिक्षण शामिल हैं। राज्य पार्टी दिव्यांगता के मानव अधिकार मॉडल को बढ़ावा देगा और समाज में दिव्यांगजनों के पूर्वधारणाओं और अपमानजनक भाषा के प्रयोग के विरूद्ध तथा इंटरसेक्स व्यक्तियों और अन्य बातों के साथ-साथ, जेंडर उन्मुखीकरण और जेंडर पहचान के विरूद्ध बहु और परस्पर (इंटर्सेक्टिंग) भेदभाव का समाधान करें।

(ग) कन्वेंशन और इसके वैकल्पिक प्रोटोकॉल तथा समिति की सामान्य टिप्पणियों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करें और सुगम्य प्रारूपों में उनका व्यापक प्रचार करें।

सुगम्यता (धारा 9)

20. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजना के तहत सुगम्य भारत अभियान के समन्वित और क्रॉससेक्टरल कार्य एवं - स्वामित्व का अभाव;

(ख) भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम और वित्त मंत्रालय के मैनुअल फोर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स 2017 ब्रोडर ऑब्लिगेशन्स प्रिन्सिपल में वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच का अभाव;

(ग) परिवहन, भौतिक पर्यावरण और सरकारी वेबसाइटों सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों तक पहुंच हेतु सुधार में धीमी प्रगति।

21. समिति सिफारिश करती है कि सुगम्यता पर समिति की सामान्य टिप्पणी सं. 2(2014) द्वारा और सतत् विकास लक्ष्य 9 और लक्ष्यों के लक्ष्य 11.2 और 11.7 को ध्यान में रखते हुए, राज्य पार्टी :

(क) एक क्रॉस-सेक्टरल दृष्टिकोण को अपनाकर सुगम्यता के संबंध में दिव्यांगजन अधिकार

अधिनियम 2016 की धारा 40-46 को लागू करें, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना में शामिल सभी मंत्रालयों को विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक समय सीमा, बजट, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन के साथ सभी योजना और कार्यान्वयन प्रक्रियाओं में और प्रत्येक चरण पर दिव्यांगजनों को उनके प्रतिनिधि संगठनों द्वारा शामिल करते हुए, सुगम्यता में सुधार करने के लिए, शामिल करने की आवश्यकता है;

(ख) **सार्वजनिक खरीद कानून तथा वस्तुओं और सेवाओं की नीतियों में पहुंच संबंधी अपेक्षाएं सुनिश्चित करें, विशेष रूप से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम में;**

(ग) **परिवहन रियायतों और लाइसेंसों सहित परिवहन सेवाओं की पहुंच तथा सूचना तक पहुंच प्रवर्तित करें और बाधा मुक्त भवनों के कार्यान्वयन में तेजी लाएं।**

जीवन का अधिकार (धारा 10)

22. समिति संस्थानों में दिव्यांग बच्चों की मृत्यु और इंटरसेक्स दिव्यांग बच्चों की "मर्सी किलिंग" की सूचना के बारे में चिंतित है। यह संघर्ष वाले क्षेत्रों में बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगजनों के कथित न्यायेतर दंडित किए जाने की सूचना के बारे में भी चिंतित है।

23. **समिति अनुशंसा करती है कि पक्षकार राज्य, सभी दिव्यांगजनों के जीवन के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए उपायों को अपनाए, संस्थानों में दिव्यांग बच्चों की मृत्यु के कारणों का पता लगाने के उद्देश्य से जांच कराए, और अपराधियों को दंडित करे। समिति सह भी सिफारिश करती है कि पक्षकार राज्य इंटरसेक्स बच्चों को उनके जीवन पर हमले और किसी भी संबंधित हानिकारक व्यवहार से बचाए, और हिंसा और सशस्त्र संघर्ष के संबंध में दिव्यांगजनों को दंडित किए जाने से रोकने के उपाय अपनाएं।**

जोखिम की स्थिति और मानवीय आपात स्थिति (धारा 11)

24. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीतियों के नियोजन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में दिव्यांगजनों के संगठनों से परामर्श के संबंध में नीतियों का अभाव;

(ख) आंतरिक रूप से विस्थापित दिव्यांगजनों, विशेष रूप से औपचारिक शिविरों या पुनर्वास क्षेत्रों के बाहर रहने वाले लोगों की संख्या के संबंध में सूचना की कमी उपयुक्त और दिव्यांगता समावेशी आपातकालीन प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मानवीय आकलनों का अभाव जिसमें विस्थापन के अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्ति शामिल हैं;

(ग) जम्मू और कश्मीर में दिव्यांगजनों के बारे में जानकारी, और उपयुक्त मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के लिए कार्यनीतियों का अभाव।

25. समिति अनुशंसा करती है कि पक्षकार राज्य, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई ढांचा 2015-2030 और आंतरिक विस्थापन पर मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार:

(क) आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यनीति और/या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना/दिशानिर्देशों में दिव्यांगजनों को संगठनों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करें, जोखिम की स्थितियों में दिव्यांगजनों की पहुंच और समावेशन के उपायों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें;

(ख) ऐसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करें जो जोखिम की स्थितियों में सभी दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य हो;

(ग) आंतरिक विस्थापित दिव्यांगजनों के लिए मानवाधिकार-आधारित प्रतिक्रिया का प्रावधान सुनिश्चित करें, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो हिंसा और सशस्त्र संघर्ष, प्राकृतिक आपदाओं, या प्राकृतिक संसाधनों के दोहन संबंधी जोखिम सहित जोखिम की सभी स्थितियों में लंबे समय के लिए विस्थापित रहे हैं और आंतरिक विस्थापित दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए नीतियां अपनाएं, उनके लिए सहायता और सुगम्य और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करें;

(घ) कश्मीर राज्य में दिव्यांगजनों की स्थिति का आकलन करने के उपायों को अपनाएं और सहायता और सामुदायिक बुनियादी सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करें, और मानवीय सहायता में दिव्यांगजनों को शामिल करने पर चार्टर के अनुमोदन पर विचार करें।

विधि के समक्ष समान व्यवहार (धारा 12)

26. समिति चिंतित है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (धारा 14) में ''सीमित संरक्षकता'' और ''संयुक्त निर्णय प्रणाली'' लिए अनुमति है जिससे दिव्यांगजनों, विशेषकर बधिर-अंध व्यक्तियों, बौद्धिक या मनोसामाजिक को प्रभावित करते हैं। यह इससे भी चिंतित है कि राज्य पार्टी संरक्षकता को सहायता का रूप समझती है, (सीआरपीडी/सी/आईएनडी/अतिरिक्त 1, पैरा 62) धारणा जो कन्वेंशन के अनुसार नहीं है। इसके अतिरिक्त यह कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों पर आरोपित वास्तविक संरक्षकता और समर्थित निर्णय लेने को शुरू करने के उपायों का अभाव होने के बारे में भी चिंतित है।

27. समिति सिफारिश करती है कि विधि के समक्ष समान व्यवहार पर समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 1 (2014) द्वारा निर्देशित राज्य पार्टी :

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (धारा 14), मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम (धारा 4), स्वयपरायणता, प्रमस्तिष्क घात और मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता ग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम सहित अपने राष्ट्रीय और राज्य कानून और व्यवहारों से सभी प्रकार की संरक्षकता को हटाएं;

(ख) सभी दिव्यांगजनों की स्वायत्तता, इच्छा और प्राथमिकताओं का सम्मान करने वाली समर्थित निर्णय लेने वाली प्रणालियां शुरू करे, और दिव्यांगजनों को इन प्रणालियों के बारे में जानकारी प्रदान करें;

(ग) दिव्यांगजनों के परिवारों सहित समाज में विधि के समक्ष समान मान्यता के अधिकार और इस संबंध में जागरूकता बढ़ाना कि कुष्ठ, बधिर अंध-व्यक्तियों, बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगता से प्रभावित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों की कानूनी क्षमता के बारें में अधिकार किस प्रकार प्राप्त करें। राज्य पार्टी को जन अधिकारियों को -दिव्यांगजनों के कानून के समक्ष समान मान्यता के अधिकार और कन्वेंशन के अनुरूप समर्थित निर्णय लेने की व्यवस्था के संबंध में प्रशिक्षित करना चाहिए।

न्याय तक पहुंच (धारा 13)

28. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) दिव्यांगजनों द्वारा न्यायालय के भवनों, सुगम्य जानकारी का अभाव और सांकेतिक भाषा के भाषांतरण, और पर्याप्त कानूनी सहायता के अभाव सहित न्याय तक समान पहुंच को प्रभावित करने वाली सीमित प्रक्रियात्मक को प्रावधान और आयु-उपयुक्त समायोजन और बाधाएं;

(ख) दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन हिंसा के मामलों में पीड़िता को प्रतिशोध का डर;

(ग) न्याय प्रणाली में जेंडर रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह, जिससे दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा और बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगता से ग्रस्त महिलाओं और लड़कियों की अवहेलना सहित संरक्षकता या संस्थानों में रहने वाली महिलाओं को प्रभावित करने वाले मामलों में दिव्यांग महिलाओं की न्याय पाने के अधिकार कम हो जाते हैं;

(घ) दिव्यांगजनों के अधिकारों के संबंध में न्याय प्रणाली में सभी ऐक्टर की जागरूकता और क्षमता निर्माण का- अभाव, और समुचित सुविधा के प्रावधान करने जैसे उपायों का अभाव जिससे दिव्यांगजन न्यायधीश, जूरी सदस्य का पद ग्रहण करने या न्यायपालिका में अन्य कार्य करने में सक्षम हों।

29. समिति ने राज्य पार्टी की सिफारिश की है:

(क) दिव्यांगजनों की बगैर किसी भेदभाव न्याय तक प्रभावी पहुंच और शिकायत तंत्र और कानून के सभी क्षेत्रों में प्रक्रियात्मक, आयु-उपयुक्त और जेंडर-संवेदी समायोजन सुनिश्चित करें। पक्षकार राज्य को दिव्यांगजनों को सुगम्य और नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने, भौतिक परिवेश और सूचना की बाधाओं को दूर करने और सुगम्य रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं विकसित करने के अपने प्रयासों को मजबूत करना चाहिए, विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के मामलों में, और संरक्षकता या संस्थाओं में रहने वाली महिलाओं के लिए;

(ख) यह सुनिश्चित करें कि न्याय प्रणाली में मामलों का निर्णय जेंडर-संवेदनशील तरीके से किया जाए और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाएं, दिव्यांग महिलाओं के लिए उत्तरदायी हों और उनकी गोपनीयता व सुरक्षा की गारंटी प्रदान करती हैं;

(ग) स्टिग्मा, लिंग और दिव्यांगता रूढ़ियों का मुकाबला करें, यह सुनिश्चित करें कि अभियोजन और विचारण दिव्यांगता और जेंडर-संवेदनशील तरीके से प्रबंधित किए जाते हैं;

(घ) यह सुनिश्चित करें कि पुलिस सहित आपराधिक न्याय प्रणाली के विभिन्न अभिनेता दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए प्रशिक्षित हैं, और न्यायिक प्रणाली में दिव्यांगजनों की न्यायाधीशों सहित पेशेवर के रूप में भागीदारी में संप्रवर्धन और सहायता करें।

व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा (धारा 14)

30. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) दिव्यांगता के आधार पर "मानसिक स्वास्थ्य देखभाल गृह", ''अभिरक्षा देखभाल संस्थान'', मनोरोग अस्पताल सहित दिव्यांगजनों, विशेष रूप से बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगजनों का संस्थानीकरण, जिन्हें दिव्यांगता के आधार पर सभी प्रकार का संस्थानीकरण समाप्त न किए जाने की स्थिति में अत्यधिक सहायता की आवश्यकता होती है;

(ख) बौद्धिक रूप से दिव्यांगजनों को घर में कैद करना;

(ग) दिव्यांगता के आधार पर "मानसिक रोगग्रस्त" बताए गए व्यक्तियों को बांध कर रखना और यह धारणा कि वह मुकदमे के लिए फिट नहीं है।

31. समिति अनुशंसा करती है कि राज्य पार्टी, दिव्यांगजनों की स्वतंत्रता और सुरक्षा के अधिकार संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए (देखें क/72/55, अनुबंध), निम्नलिखित के लिए उपाय करें:

(क) मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम और बम्बई भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम के प्रावधानों का निरसन करें जिससे दिव्यांगता के आधार पर संस्थानीकरण होता है, और दिव्यांगता के आधार पर सभी प्रकार के संस्थानीकरण, अनैच्छिक प्रतिबद्धता और पृथक्करण, और सभी प्रकार के संस्थानों में बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगजनों का पृथक्करण समाप्त करने की कार्यनीतियां अपनाएं;

(ख) बौद्धिक दिव्यांगजनों को उनके घरों में कैद करने से रोकने और सभी दिव्यांगजनों के लिए अन्य लोगों के साथ समान आधार पर मानवाधिकार-आधारित सहायता, और सामुदायिक सेवाओं की व्यवस्था करें;

(ग) आपराधिक कार्यवाही में मनोसामाजिक दिव्यांगजनों के समुचित प्रक्रिया और निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार सुनिश्चित करें, और "पागलों के लिए आपराधिक वार्ड" का उपयोग समाप्त करें।

यातना अथवा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड से मुक्ति (धारा 15)

32. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) बलात्कार सहित यौन हिंसा के मामलों के अभियोजन में का "टू फिंगर टेस्ट" चलन;

(ख) यह तथ्य है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में दुर्व्यवहार के खिलाफ प्रतिबंधों में केवल कुछ प्रकार के दुर्व्यवहार कवर हैं और इसमें अपमानित करने की मंशा की आवश्यकता होती है (धारा 92 (क));

(ग) संस्थानों में हिंसा और दुर्व्यवहार, विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों, बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगजनों और शारीरिक और केमिकल प्रतिबंध, बलपूर्वक इलाज, जोर-जबरदस्ती, शारीरिक शोषण, अपमान, इलेक्ट्रोकंवल्सिव थेरेपी, हथकड़ी लगाने, जबरन मजदूरी कराने, और शारीरिक दंड सहित दिव्यांग महिलाओं को प्रभावित करने वाले, बाल देखभाल सुविधाओं में इनके रूपों सहित अंतर्निहित रूपों का प्रचलन;

(घ) दिव्यांगजनों को यातना अथवा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड से बचाने और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उपायों का अभाव।

33. समिति की सिफारिश है कि राज्य पार्टी, दिव्यांगजनों से सभी प्रकार के दुर्व्यवहार से बचने और इसे रोकने निम्नलिखित को शामिल कर उपाय करें:

(क) "टू फिंगर टेस्ट"पर निषेध का प्रवर्तन सुनिश्चित करना और जब यह किया जाता है तो प्रतिबंध लागू किए जाते हैं, और न्याय प्रणाली में जवाबदेही तंत्र लागू किए जाते हैं। राज्य पार्टी को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर समिति द्वारा जारी सिफारिशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए (पीडितों और गवाहों की जेंडर संवेदनशील जांच और उपचार पर पुलिस के लिए मानक प्रक्रियाओं के बारे में (सीईडीएडब्ल्यू/सी/आईएनडी/सीओ/4-5, पैरा 11 (च)) पर दिया गया है;

(ख) यातना अथवा क्रूर, अमानवीय अथवा अपमानजनक व्यवहार अथवा दण्ड के विरूद्ध कन्वेंशन और इसके अतिरिक्त वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन करना;

(ग) संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य शिकायत तंत्र स्थापित करना; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य आयोगों सहित सभी स्थानों की जांच सुनिश्चित करना जहां दिव्यांगजनों को रखा गया है और यातना और दुर्व्यवहार के मामलों के बारे में दिव्यांगजनों के संगठनों की प्रभावी भागीदारी के साथ डाटा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन करना;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगजनों के खिलाफ सभी प्रकार के दुर्व्यवहार अंतरराष्ट्रीय कानून में यातना की परिभाषा के अनुरूप आपराधिक अपराध हैं, और यातना और दुर्व्यवहार के अपराधियों की जांच, अभियोजन, प्रतिबंध सुनिश्चित करना, और दुर्व्यवहार से पीडित दिव्यांगजनों का निवारण सुनिश्चित करना।

शोषण, हिंसा और दुर्व्यवहार से मुक्ति (धारा 16)

34. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) सभी परिवेशों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा सहित दिव्यांग बच्चों और वयस्कों के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक हिंसा, उत्पीड़न और वित्तीय शोषण और दुर्व्यवहार, तस्करी, अपहरण, उपेक्षा, और शारीरिक दंड और उग्र दण्ड के अन्य रूप;

(ख) दिव्यांगजनों के खिलाफ हिंसा का समाधान करने के लिए विधायी प्रावधानों

को लागू करने में विलंब सहित सभी प्रकार की हिंसा की पहचान, रोकथाम और मुकाबला करने के उपायों का अभाव;

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ घनिष्ठ भागीदारों द्वारा की गई हिंसा सहित जेंडर आधारित हिंसा के मामलों पर अलग-अलग सांख्यिकीय आंकड़ों की कमी;

(घ) हिंसा पीडित दिव्यांग महिलाओं के लिए सुगम्य आश्रयों की सीमित उपलब्धता, और जो हिंसा का सामना करने वाले दिव्यांगजनों के लिए पुनर्वास और प्रतिपूर्ति सहित प्रभावी उपचार और निवारण का अभाव।

35. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी:

(क) महिलाओं, लड़कियों और दिव्यांग लड़कों सहित दिव्यांगजनों से सभी प्रकार की हिंसा की पहचान, रोकथाम, मुकाबला करने, और समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य कार्य नीतियों को अपनाए और लागू करे। इस प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के संगठनों, विशेष रूप से दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा की घटनाओं की पहचान करने के लिए उपायों को अपनाने में दिव्यांग महिलाओं के संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए;

(ख) सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (2015), और घरेलू हिंसा अधिनियम(2005), में शामिल महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा का सामना करने वाली दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों की स्थिति का समाधान करने के कानूनी उपायों को तुरंत लागू किया जाए;

(ग) सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा, और घनिष्ठ भागीदारों द्वारा की गई हिंसा सहित हिंसा और शोषण के मामलों में जेंडर, आयु, निवास स्थान, अपराधी और दिव्यांगता के साथ संबद्ध विषय पर अलग-अलग आंकडा संकलित करें;

(घ) दिव्यांगजनों के लिए, संस्थानों में रहने वाले दिव्यांगजनों सहित, यौन हिंसा और सुगम्य शिकायत तंत्र सहित हिंसा के लिए समाधान और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करें;

(ङ) **कन्वेंशन के धारा 16 (3) के अनुसार दिव्यांगजनों के लिए स्वतंत्र प्राधिकरणों द्वारा बनाई गई सुविधाओं और कार्यक्रमों की प्रभावी सुनिश्चित करें, और यह कि दिव्यांगजनों के संगठनों सहित सिविल सोसायटी संगठनों को जांच गतिविधियों में शामिल किया जाता हैं।**

व्यक्ति की सत्यनिष्ठा का संरक्षण (धारा 17)

36. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) जबरन नसबंदी, जबरन गर्भनिरोधक और जबरन गर्भपात की वैध प्रथाओं को जारी रखना, जिससे विशेष रूप से संस्थानों में बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांग महिलाएं प्रभावित होती हैं;

(ख) दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ हानिकारक प्रथाएं विशेष रूप से बलपूर्वक विवाह, परिवारों से दहेज लेना, और दिव्यांग महिलाओं से विवाह के लिए भुगतान प्रोत्साहन का संप्रवर्धन करने वाली राष्ट्रीय योजनाएं या दिव्यांगजनों के बीच कम उम्र में विवाह करना;

(ग) इंटरसेक्स बच्चों पर सेक्स असाइनमेंट सर्जरी या "सेक्स नॉर्मलाइजिंग" सर्जरी, स्टिग्माजेशन, डराना धमकाना- और इंटरसेक्स बच्चों के विरूद्ध उनके सामुदायिक सेवाओं तक सीमित पहुंच।

37. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) **"गंभीर दिव्यांगता" वाली महिलाओं के गर्भपात के लिए सहमति आवश्यकता के अपवाद के संबंध में दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम की धारा (92एफ) और तृतीय पक्ष की सहमति के आधार पर चिकित्सा उपचार को अधिकृत करने वाले कानून का निरसन करे और सभी दिव्यांगजनों को चिकित्सा उपचार के संबंध में पूर्व और सूचित सहमति व्यक्त करने के लिए समर्थित निर्णय तंत्र प्रदान करें;**

(ख) **दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के संबंध में दहेज भुगतान और बलपूर्वक विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं के कानूनी निषेध को प्रवर्तित करने के अपने प्रयासों को बढ़ाएं और हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करें। राज्य पार्टी को हानिकारक प्रथाओं पर सामुदायिक स्तर पर लक्षित जागरूकता बढ़ाने वाले अभियान बनाने के संबंध में महिलाओं के खिलाफ हिंसा, इसके कारणों और**

परिणामों (ए/एचआरसी/26/38/अतिरिक्त 1, पैरा 80 (ग) देखें) पर विशेष प्रतिवेदक द्वारा जारी की गई सिफारिशों का वास्तविक कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना चाहिए।;

(ग) इंटरसेक्स बच्चों के विरूद्ध सेक्स असाइनमेंट सर्जरी या ''सेक्स नॉर्मलाइजिंग'' सर्जरी, स्टिग्माइजेशन की डराने – धमकाने की रोकथाम के उपाय अपनाएं और उनकी शारीरिक और मानसिक अखंडता को बनाए रखें।

घूमने फिरने और राष्ट्रीयता की स्वतंत्रता (धारा 18)

38. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) दिव्यांग बच्चों के जन्म पर पंजीकरण न किया जाना, विशेष रूप से डेफ – ब्लाइंड बच्चों, अत्यधिक सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों, और अत्यधिक उपेक्षा के जोखिम पर इंटरसेक्स बच्चों का पंजीकरण न किया जाना, अलग-अलग आंकडे न होना, और दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों, आंतरिक रूप से विस्थापित या शरणार्थी शिविरों में दिव्यांग बच्चों का विशिष्ट पहचान दिव्यांगता कार्ड में प्रारंभिक पंजीकरण और उस तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त उपाय जिसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा सामुदायिक सेवाओं तक पहुंच में कमी आती है;

(ख) असम राज्य में और वर्तमान में नजरबंदी शिविरों में शुरू की गई पंजीकरण प्रक्रिया के परिणामत: मुस्लिम दिव्यांगजनों सहित दिव्यांगजनों की स्थिति स्टेटलेस बन गई है।

39. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) जन्म के तुरंत बाद दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण, जन्म पंजीकरण को आंकडों को अलग अलग किया जाना सुनिश्चित-करने के लिए एक कार्यक्रम को अपनाना और इससे सभी दिव्यांग बच्चों के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान कार्ड के अनुमोदन, और समुचित प्रारंभिक उपचार और सामुदायिक सेवाओं तक उनकी पहुंच सुगम्य होती है;

(ख) नजरबंदी शिविरों में रहने वाले दिव्यांगजनों सहित दिव्यांगजनों के सभी मानवाधिकारों का सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करें, ऐसे उपाय तत्काल अपनाए जिससे राष्ट्रीयता प्राप्ति और स्टेटस ऑफ स्टेटलेस पर्सन्स (1954) कनवेंशन और रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस (1961) कनवेंशन का अनुसमर्थन या स्वीकृति की जा सके।

स्वतंत्र रूप से जीवनयापन करना और समुदाय में शामिल होना (धारा 19)

40. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) दिव्यांग बच्चों सहित दिव्यांगजनों को बड़े और छोटे सामूहिक परिवेश में रोककर रखना, और स्वतंत्र जीवनयापन और समुदाय में शामिल होने के उपायों का अभाव;

(ख) समुदाय में जीवनयापन करने के लिए व्यक्तिगत सहायता स्थापित करने के उपायों की कमी, और दिव्यांगजनों की दैनिक गतिविधियों के निष्पादन के लिए संबंधों की सहायता पर निर्भरता;

(ग) सभी दिव्यांगजनों, विशेष रूप से शहरी किफायती और सुगम्य आवास में रहने वाले दिवयांगों सहित बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों की सामुदायिक सेवाओं तक पहुंच में प्रगति का अभाव।

41. समिति सिफारिश करती है कि अकेले जीवनयापन करना और समुदाय में शामिल होने के संबंध में समिति की सामान्य टिप्पणी सं. 5 (2017) द्वारा निर्देशित राज्य पार्टी:

(क) दिव्यांगता के आधार पर संस्थानीकरण के सभी रूपों को समाप्त करे, "गंभीर दिव्यांगता" वाले व्यक्तियों के लिए संस्थानों की स्थापना की व्यवस्था संबंधी विधायन का निरसन करे और सभी प्रकार के संस्थानों से बच्चों के विसंस्थानीकरण को प्राथमिकता देने वाले दिव्यांगजनों के संगठनों के परामर्श से उपयुक्त वित्तीय, मानव और तकनीकी संसाधनों और समय सीमा के साथ एक विसंस्थानीकरण कार्यनीति अपनाए;

(ख) व्यक्तिगत सहायता प्रदान करें और सामाजिक समावेशन एवं व्यक्तिगत सहायता को सुगम्य बनाने वाले सामुदायिक समर्थन नेटवर्क को सुदृढ़ करें;

(ग) दिव्यांगजनों की मुख्यधारा की सामुदायिक सेवाओं तक पहुंच, बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांग महिलाओं के लिए विशेष रूप से आवास, समावेशी शिक्षा और काम और रोजगार जैसी सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में बाधाओं को दूर करते हुए उनसे संबंधित एक कार्यनीति और प्रगति के संकेतकों को अपनाए।

व्यक्तिगत गतिशीलता (धारा 20)

42. समिति सभी दिव्यांगजनों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले दिव्यांगजनों के लिए उपलब्ध और किफायती सहायक उपकरणों और संबंधित सहायता सेवाओं के अभाव और सहायक यंत्रों और प्रौद्योगिकी के संबंध में दिव्यांगजनों की विशेषज्ञों के रूप में भागीदारी की कमी और स्थानीय निर्माण के विकास को प्रोत्साहित करने के बारे में चिंतित है।

43. समिति की सिफारिश है कि राज्य पार्टी सहायक उपकरणों की उपलब्धता, समान वितरण और वहनीयता सुनिश्चित करने के उपाय अपनाएं। समिति यह भी सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी सहायक यंत्रों और उपकरणों के उत्पादन, रखरखाव और वितरण के लिए के लिए गुणवत्ता मानकों पर प्रशिक्षण विकसित करे, और स्थानीय या स्वदेशी निर्माताओं को शामिल करने को बढ़ावा दे, स्थानीय और ग्रामीण क्षेत्र स्तर पर दिव्यांगजनों के संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करें।

अभिव्यक्ति और अभिमत की आजादी और सूचना प्राप्त करना (धारा 21)

44. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) सांकेतिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता न दिया जाना और सांकेतिक भाषा के दुभाषियों का बहुत कम संख्या में होना;

(ख) सहज पठन, संसूचना के संस्पर्शनीय (टेक्टाइल फॉर्म) रूप उपलब्ध कराने और सूचना सेवाओं, विशेष रूप से संवर्धित और वैकल्पिक संसूचना सेवाओं में सुधार के उपायों का अभाव;

(ग) दिव्यांगजनों के लिए सूचना प्राप्ति के संबंध में क्लोज्ड कैप्शनिंग, सांकेतिक भाषा उपलब्ध कराने वाले टीवी चैनलों की कम संख्या और निजी प्रसारण सेवा प्रदाताओं में भाषा इंटरप्रेटेशन और अभिवृत्ति संबंधी बाधाएं।

45. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) सांकेतिक भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दें, अदालती कार्यवाही, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, अवकाश, धार्मिक और सांस्कृतिक सेवाओं में प्रशिक्षण

प्रदान करने और सांकेतिक भाषा दुभाषियों की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए के लिए सरकारी संसाधनों का आवंटन करें;

(ख) सुनिश्चित करें कि सभी दिव्यांगजनों के पास, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त पहुंच मानकों को ध्यान में रखते हुए, आगुमेंटेटिव प्रयोग और वैकल्पिक संचार, सहज पाठ्य, सरल भाषा, टेक्टाइल संचार और सुगम्य डिजिटल इंटरनेट-आधारित सेवाओं में सभी सार्वजनिक सूचनाओं और सेवाओं तक पहुंच है;

(ग) सुगम्यता की अपेक्षाओं का अनुपालन न किए जाने के लिए प्रतिबंध लाकर राष्ट्रीय प्रसारण कानून को लागू करें।

गोपनीयता का सम्मान (धारा 22)

46. समिति चिंतित है कि दिव्यांगजन जो आधार कार्ड धारक (सार्वभौमिक पहचान संख्या) हैं, उन्होंने गोपनीयता में हस्तक्षेप का अनुभव किया है, और उनके व्यक्तिगत डाटा से समझौता हो रहा है।

47. **समिति सिफारिश करती है कि पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने के उपाय करें कि सभी पहचान प्रक्रियाएं व्यक्तियों की निजता की गारंटी देती हैं, और दिव्यांगजनों की गोपनीयता, विशेष रूप से सेवा प्रदाताओं या सहायता प्रदान करने वाले कर्मियों के साथ बातचीत में गोपनीयता के संरक्षण विधायन का अधिनियमन करें।**

गृह और परिवार के लिए सम्मान (धारा 23)

48. समिति दिव्यांग महिलाओं और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के विवाह के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों, राज्य स्तरीय कानूनों के बारे में चिंतित है जो दिव्यांगता के आधार पर तलाक की अनुमति देते हैं और दिव्यांगजनों के पैतृक दयित्वों और बच्चों को गोद लेने के उनके अधिकार को प्रतिबंधित करते हैं, इनमें शामिल हैं। यह दिव्यांगता के आधार पर बच्चों को उनके माता-पिता से अलग होने से रोकने के उपायों के अभाव पर भी चिंतित है।

49. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगजनों सहित दिव्यांगजनों के विवाह करने और परिवार बनाने से संबंधित निबंधनों का निरसन करे जिनके तहत विवाह और तलाक के व्यक्तिगत कानूनों से अत्यधिक समर्थन की आवश्यकता होती है;

(ख) दत्तक ग्रहण नियमन (2017) के प्रावधान का निरसन करे, जिसके परिणामस्वरूप, दिव्यांगजनों को शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या प्राण घातक चिकित्सा स्थितियों के आकलन के आधार पर बच्चे गोद लेने के लिए पात्र घोषित नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय दत्तक संसाधन प्राधिकरण द्वारा दत्तक प्रक्रियाओं की मानवाधिकार-आधारित मॉनीटरिंग सुनिश्चित करें;

(ग) दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों की सहायता करने और माता-पिता में से किसी एक या दोनों की दिव्यांगता के आधार पर बच्चों को उनके परिवारों से अलग होने से रोकने के लिए कन्वेंशन के धारा 23 (3) और (4) के अनुरूप नीतिगत उपाय अपनाए।

शिक्षा (अनुच्छेद 24)

50. समिति निम्नेलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) अलग-अलग शिक्षा का चलन, दिव्यांगजनों, विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगजनों और दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों में में उच्च निरक्षरता दर और मुख्यधारा की समावेशी शिक्षा में नामांकित दिव्यांग छात्रों की कम संख्या;

(ख) दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित बच्चों का स्कूल से निष्कासन, और इंटरसेक्स बच्चों को डराना-धमकाना जिस कारण वे स्कूल छोड़ देते हैं;

(ग) ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सुगम्य समावेशी स्कूलों की कमी;

(घ) दिव्यांग बच्चों को शामिल करने के लिए स्कूल कर्मियों के प्रशिक्षण, शिक्षण-विधियों और सामग्री की कमी, बधिर-अंध छात्रों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए सीमित सीटें, और बधिर और श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषांतरण, और दिव्यांग बच्चों के लिए सुरक्षित परिवहन का अपर्याप्त प्रावधान।

51. समिति अनुशंसा करती है कि राज्य पार्टी, समावेशी शिक्षा के अधिकार पर समिति की सामान्य टिप्पणी संख्या 4 (2016) द्वारा निर्देशित और सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 4.5 और 4.क को ध्यान में रखते हुए:

(क) दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के उपाय करे, और दिव्यांग व्यक्तियों में निरक्षरता कम करने के अपने प्रयासों को बढ़ाए;

(ख) दिव्यांग बच्चों, विशेष रूप से कुष्ठ और इंटरसेक्स प्रभावित बच्चों के बहिष्करण, स्टिग्मा और डराने-धमकाने से रोकथाम के लिए उपाय करे, शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विनियमों की समीक्षा करे, दिव्यांगता रूढ़ियों के समाधान के लिए अभियान चलाए और विभेद के मामलों में शिकायत तंत्र और प्रतिबंध स्थापित करे;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य स्कूलों के निर्माण और रखरखाव के लिए सतत् प्रकृति के मानव और वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करना;

(घ) सुनिश्चित करें कि भौतिक वातावरण, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षण संसाधन और कार्यपद्धतियां, शिक्षण के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कक्षाएं और परिवहन सहित अधिगम परिवेश दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य व सुरक्षित है, और कक्षाओं में सांकेतिक भाषा दुभाषिए की व्यवस्था और उसकी उपलब्धता, शिक्षा के सभी स्तरों पर संवर्धित और वैकल्पिक संवाद और सहज पठन सुनिश्चित करे।

स्वास्थ्य (अनुच्छेद 25)

52. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है::

(क) दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकारों पर जेंडर-संवेदनशील कार्यक्रमों का अभाव;

(ख) दिव्यांगजनों के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की अपर्याप्त कवरेज, और बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए वहनीय बीमा का अभाव;

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में दिव्यांगता से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, विशेष रूप से कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों और बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों में विभेद ।

53. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 3.7 और 3.8 को प्राप्त करने के अपने प्रयासों में कन्वेंशन के अनुच्छेद 25 का अनुपालन करें;

(ख) दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों को उचित और सुगम्य यौन और प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के उपाय को अपनाए, और उपाय करना कि दिव्यांग महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के मामलों में प्रतिक्रिया और परामर्श सुगम्य, समावेशी और आयु-लिंग-संवेदनशील है;

(ग) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी दिव्यांगजनों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज और पहुंच सुनिश्चित करना;

(घ) स्वास्थ्य तक समान पहुंच और राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल योजनाओं में कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों, बौद्धिक या मनोसामाजिक दिव्यांगता से प्रभावित महिलाओं और पुरुषों सहित दिव्यांगता से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के प्रावधान में गैर-विभेद सुनिश्चित करने के उपाय अपनाए, यह सुनिश्चित करे कि सेवा प्रदाता स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को आसान बनाते हैं ।

हैबिलिटेशन और पुनर्वास (अनुच्छेद 26)

54. समिति चिंतित है कि दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना में दिव्यांगता के प्रति चिकित्सा और दान-आधारित एप्रोच पर बल दिया जाता है, और यह कि इसमें उपेक्षित समूहों से दिव्यांग व्यक्तियों के साथ विभेद किया जाता है।

55. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी, दिव्यांगजनों के संगठनों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के संगठनों के परामर्श में दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना को पुन: बनाकर समुदाय-आधारित समावेशी विकास को बढ़ावा दे, सभी राज्य पार्टी में हैबिलिटेशन और पुनर्वास के लिए बजटीय आवंटन और कार्यक्रम के गुणवत्ता मानक सुनिश्चित करे और नियमित आधार पर मॉनीटरिंग और मूल्यांकन करे।

काम और रोजगार (अनुच्छेद 27)

56. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) तथ्य यह है कि केवल 37 प्रतिशत दिव्यांगजनों की रोजगार तक पहुंच है, केवल 1.8 प्रतिशत दिव्यांग महिलाओं को रोजगार प्राप्त है, और रोजगार में बौद्धिक दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है;

(ख) कार्यस्थल पर दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों और इनकी रोकथाम व उनकी रक्षा करने के उपायों के अभाव संबंधी सूचना;

(ग) रोजगार में दिव्यांगजनों के लिए राज्य पार्टी के 4 प्रतिशत रोजगार कोटा का कार्यान्वयन न किया जाना।

57. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीतियों, भर्ती और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खुले श्रम बाजार में दिव्यांगजनों द्वारा रोजगार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय और राज्य कार्यनीति अपनाए। राज्य पार्टी को महात्मा गांधी राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन में सभी दिव्यांगजनों का समावेशन, इसके कार्यान्वयन के संबंध में सूचना और अलग-अलग डाटा संकलन सुनिश्चित करना चाहिए;

(ख) दिव्यांग महिलाओं के खिलाफ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शोषण और दुर्व्यवहार का निर्णायक रूप से मुकाबला करना, जिसमें सुगम्य सार्वजनिक जानकारी का प्रसार करना और यौन

उत्पीड़न से पीडित महिलाओं का समस्या निवारण लागू करना शामिल है;

(ग) खुले श्रम बाजार में दिव्यांगजनों, विशेष रूप से उपेक्षित समूहों के दिव्यांगजनों के लिए रोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी उपाय करे।

जीवनयापन और सामाजिक संरक्षण के पर्याप्त मानक (अनुच्छेद 28)

58. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) यह सुनिश्चित करने के उपायों की कमी कि सभी दिव्यांग व्यक्ति पंजीकृत हैं और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं द्वारा कवर हैं;

(ख) उच्च स्तरीय सहायता की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता से संबंधित अतिरिक्त लागतों को कवर करने वाली सामाजिक सुरक्षा योजनाएं न होना;

(ग) बेघर दिव्यांगजनों की स्थिति, और कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के लिए वहनीय और सुगम्य आवास के साथ-साथ कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों का अभाव।

59. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) सभी दिव्यांगजनों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त जीवनयापन की स्थितियों को बढ़ावा देने के लिए पेंशन योजनाओं, बेरोजगारी, परिवहन या देखभाल भत्ते या अन्य पात्रताओं सहित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम की पहुंच सुनिश्चित करें। राज्य पार्टी को पर्याप्त मॉनीटरिंग और दिव्यांगता, जेंडर और उम्र के आधार पर अलग-अलग डाटा संकलन सुनिश्चित करना चाहिए;

(ख) सभी दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांगता से संबंधित अतिरिक्त लागत, दिव्यांगता पेंशन कवर करने के लिए पात्रताओं की शुरूआत करना और इसे सुनिश्चित करना और पेंशन प्राप्ति एवं पेंशन वेतन (वैजिज) बढ़ाने की पहचान प्रक्रियाओं को सुदृढ करें।

(ग) दिव्यांगजनों के लिए किफायती आवास तक समान सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए एक जन आवास के लिए नीति अपनाएं, और पर्याप्त जीवन स्तर और इस संदर्भ में गैर-भेदभाव के अधिकार के एक घटक के रूप में पर्याप्त आवास पर विशेष प्रतिवेदक द्वारा 2017 में जारी की गई सिफारिशों पर ध्यान देते हुए कार्यकाल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय करें। (A/HRC/34/51/Add.1)

राजनीतिक और जन-जीवन में भागीदारी (अनुच्छेद 29)

60. समिति समिति दिव्यांगजनों की दिव्यांगता आधार पर राजनीतिक जीवन में भागीदारी को सीमित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों, और सभी दिव्यांगजनों के लिए अपर्याप्त सुगम्य जानकारी और चुनावी कार्यवाही के बारे में चिंतित है।

61. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) सभी दिव्यांगजनों के लिए मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित करने वाले चुनाव में खड़े होने और सरकारी पद धारण करने के अधिकार को प्रतिबंधित करने संबंधी संवैधानिक और विधायी प्रावधानों में संशोधन करें, और दिव्यांगजनों की सकारात्मक कार्रवाई उपायों के माध्यम से भागीदारी सहित राजनीतिक जीवन में और सभी स्तरों पर सार्वजनिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी को संप्रवर्धित करें;

(ख) फोरम फोर इलेक्श्न मैनेजमेंट बॉडिज ऑफ साउथ एशिया के संकल्प 2015 को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों के संगठनों के परामर्श से भौतिक और सूचनात्मक परिवेश सहित चुनावी प्रक्रियाओं तक सुगम्यता सुनिश्चित करें।

सांस्कृतिक जीवन, मनोरंजन, आमोद-प्रमोद और खेल में भागीदारी (अनुच्छेद 30)

62. समिति दिव्यांजगजनों द्वारा मुख्यधारा के मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों, आमोद-प्रमोद और खेल तक पहुंच लागू करने के उपायों की कमी, और मारकेश संधि के कार्यान्वयन को और संप्रवर्धित करने के लिए अपर्याप्त उपायों के बारे में चिंतित है।

63. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी अवकाश और क्रीडा स्थलों की सुगम्यता की मॉनीटरिंग करें, इसमें सांस्कृतिक अस्मिताओं को मान्यता दी जाए और सांस्कृतिक प्रदर्शनों में दिव्यांगजनों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए और यह भी अनुशंसा करती है कि राज्य पार्टी प्रकाशकों को सुगम्य स्वरूपों में पठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों को अपनाए, और मारकेश संधि के अनुरूप संसाधनों के सीमा पार आदान-प्रदान का संप्रवर्धन सुनिश्चित करे।

ग. विशिष्ट बाध्यताएं (अनुच्छेद 31–33)

सांख्यिकी और डाटा संकलन (अनुच्छेद 31)

64. समिति इससे चिंतित है कि आधिकारिक आंकडे दिव्यांगता के चिकित्सा मॉडल पर आधारित होते हैं और दिव्यांगजनों संबंधी प्रश्न से स्व-पहचान की संभावना सीमित हो जाती है।

65. सतत विकास लक्ष्य के लक्ष्यव 17.18 को ध्यान में रखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी, दिव्यांगता- विशिष्ट और दिव्यांगता समावेशी/ मुख्यधारा डाटा संकलन, दोनों सुनिश्चित करते हुए दिव्यांगजनों से विभेद अथवा हिंसा के मामलों में आंकडे संकलित करने, उनका विश्लेषण करने के लिए वाशिंगटन ग्रुप के प्रश्न के शॉर्ट सेट पर आश्रित रहे, और दिव्यांगजनों के संगठनों के

सहयोग से जेंडर, आयु, जातीयता, दिव्यांगता, सामाजिक आर्थिक स्थिति, रोजगार, सामने आने वाली बाधाओं और निवास स्थान, द्वारा इसकी जनसंख्या के संबंध में अलग-अलग आंकडे संकलित और वितरित करे।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (अनुच्छेद 32)

66. समिति दिव्यांगजनों पर विकास सहयोग प्रयासों के प्रभाव मापने के लिए उपयुक्त तंत्र के अभाव और दिव्यांगजनों के संगठनों की विकास सहयोग भागीदारों के रूप में प्रभावी भागीदारी के बारे में जानकारी न होने के बारे में चिंतित है।

67. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) दिव्यांगजनों के संगठनों के साथ प्रभावी भागीदारी, समावेशन और परामर्श सुनिश्चित करने के अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रयासों में विकसित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के डिजाइन, कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग और मूल्यांकन में उपायों को अपनाए;

(ख) दिव्यांगता अधिकार और आवश्यकताओं को सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा और सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग में मुख्यधारा में लाएं।

राष्ट्रीय कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग (अनुच्छेद 33)

68. समिति निम्नलिखित के बारे में चिंतित है:

(क) कन्वेंशन कर प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों और क्षेत्रों में समन्वय के लिए केंद्रीय दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड और समकक्ष राज्य निकायों की कार्यकारी शक्ति का अभाव;

(ख) दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्तों की स्थापना के बावजूद, कन्वेंशन के कार्यान्वयन के संरक्षण, संप्रवर्धन और मॉनीटरिंग के लिए एक स्वतंत्र ढांचे का अभाव;

(ग) कन्वेंशन की स्वतंत्र मॉनीटरिंग में दिव्यांगजनों के संगठनों की भागीदारी के लिए तंत्र के बारे में जानकारी की कमी।

69. समिति सिफारिश करती है कि राज्य पार्टी :

(क) केंद्रीय सलाहकार बोर्ड और समकक्ष राज्य निकायों को सलाहकार की भूमिका से परे मजबूत करने के उपाय करे, कन्वेंशन का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए राज्य और पार्टी स्तर पर दिव्यांगता पर केंद्र बिंदुओं का समन्वय सुनिश्चित करना;

(ख) सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग, कन्वेंशन के अनुच्छेद 33 (2) के तहत स्वतंत्र मॉनीटरिंग ढांचे का हिस्सा हैं, राज्य पार्टी को स्वतंत्र मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क डिजायन करते समय स्वतंत्र मॉनीटरिंग फ्रेमवर्क पर समिति के दिशा निर्देशों और दिव्यांगजन अधिकारों (सीआरपीडी/सी/1आरईवी.1, अनुबंध) पर समिति के काम में उनकी सहभागिता को भी ध्यान में

रखना चाहिए।

(ग) सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजन और उनके प्रतिनिधि संगठन कन्वेंशन के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग में प्रभावी रूप से भाग लेते हैं।

IV. अनुवर्ती कार्रवाई

सूचना प्रसार

70. समिति वर्तमान समापन टिप्पणियों में निहित सभी सिफारिशों के महत्व पर जोर देती है। समिति उठाए जाने वाले तत्काल उपायों के संबंध में कंवेन्शन के साथ विधायन के सामंजस्य पर पैराग्राफ 6 (सी) में निहित सिफारिशों और महिलाओं के खिलाफ जेंडर आधारित हिंसा और अंतरंग भागीदारों द्वारा की गई हिंसा सहित हिंसा और शोषण के मामलों जो केंद्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा रखे जा रहे है, के संग्रह पर पैराग्राफ 34 (सी) पर राज्य पार्टी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेगी।

71. समिति राज्य पार्टी से वर्तमान समापन टिप्पणियों में निहित सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध करती है। यह अनुशंसा करती है कि राज्य पार्टी, आधुनिक सामाजिक संचार रणनीतियों का उपयोग करते हुए समापन समुक्तियों को सरकार और संसद सदस्यों, संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों, न्यायपालिका और संबंधित पेशेवर समूहों के सदस्यों, जैसे शिक्षा, चिकित्सा और कानूनी व्यावसायिकों के साथ-साथ स्थानीय प्राधिकरणों, निजी क्षेत्र और मीडिया को विचार एवं कार्रवाई के लिए आंशिक रूप से संप्रेषित कर सकती है।

72. समिति राज्य पार्टी को अपनी आवधिक रिपोर्ट तैयार करने में सिविल सोसायटी संगठनों, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के संगठनों को शामिल करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है।

73. समिति, राज्य पार्टी से अनुरोध करती है कि वह वर्तमान समापन टिप्पणियों को व्यापक रूप से प्रसारित करे, जिसमें गैर-सरकारी संगठन और दिव्यांगजनों के प्रतिनिधि संगठन, और दिव्यांगजनों और उनके परिवारों के सदस्यों को, सांकेतिक भाषा सहित राष्ट्रीय और अल्पसंख्यक भाषाओं में और सुगम्य प्रारूप में व्यापक तौर पर वितरित करे और उन्हें मानवाधिकारों पर सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराए।

अगली आवधिक रिपोर्ट

74. समिति, राज्य पार्टी को अपनी दूसरी से पांचवीं संयुक्त आवधिक रिपोर्ट को 1 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करने और उनमें वर्तमान समापन टिप्पणियों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सूचना शामिल करने का अनुरोध करती है। समिति, राज्य पार्टी से उपर्युक्त रिपोर्ट को समिति की सरलीकृत रिपोर्टिंग प्रक्रिया के तहत प्रस्तुत करने पर विचार करने का भी अनुरोध करती है, जिसके अनुसार समिति राज्य पार्टी की रिपोर्ट के लिए निर्धारित नियत तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले मुद्दों की सूची तैयार करती है। ऐसी मुद्दों की सूची के विषय में किसी राज्य पार्टी का उत्तर इसकी रिपोर्ट का एक भाग होता हैं।